



उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ



पंजी0 संख्या : 75-4/11-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओम नगर रोड, आलमबाग बस अड्डे के सामने, लखनऊ - 226005

राम मूरत यादव

प्रदेश अध्यक्ष
+91-9456225600

web:www.lekhpal.wordpress.com

Email : lekhpal.up@gmail.com

विनोद कुमार कश्यप

प्रदेश महामंत्री
+91-9760398504

पत्राचार-मो-शिवदयाल कमाउन्ड निकट - आई.टी.सी.सहारनपुर 247001 (उ0प्र0)

पत्राचार-36 ग्रीन सिटी, रुड़की रोड, निकट छटी बाहिनी पी.ए.सी., मेरठ (उ.प्र.)

पत्रांक19/महामंत्री....

दिनांक ..20-06-2024.

उपाध्यक्षगण

सुदेश कुमार

(पश्चिमी जोन)
मो. 9758547258

भूपेन्द्र सिंह

(मध्य जोन)
मो. 9198895639

धनंजय कुमार श्रीवास्तव

(पूर्वी जोन)
मो. 9005376263

संगठन मंत्रीगण

नीरज कुमार राठौर

(पश्चिमी जोन)
मो. 9936201234

मनीष कुमार पाठक

(मध्य जोन)
मो. 9454449099

करुणेश सिंह

(पूर्वी जोन)
मो. 8874060600

कोषाध्यक्ष

सुजीत सिकन्दर

मो. 9415607229

लेखा परीक्षक

शमशेर सिंह

मो. 8168037301

सेवा में,

मा0 मुख्य सचिव महोदय,

उ0प्र0 शासन।

विषय:-लेखपालों के अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण विषयक।

महोदय,

सादर निवेदन करना है कि कतिपय लेखपाल अपने परिवार से 500 से 1000 किमी दूर अन्य जनपदों/मण्डलों में कार्यरत हैं। महिला लेखपालों के विवाह आदि पारिवारिक समस्याओं के दृष्टिगत अन्य विभागों की भांति लेखपालों के निजी अनुरोध पर अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 16.07.2018 में सम्यक विचारोपरान्त "लेखपाल का काडर पूर्व की भांति मण्डल स्तरीय ही रखते हुए उनके पूरे सेवा काल में केवल एक बार उनके निजी अनुरोध पर उनके गृह मण्डल के किसी भी जनपद में स्थानान्तरण राजस्व परिषद से किये जाने" का निर्णय लिया गया था। तत्कालीन मा0 मुख्य सचिव महोदय द्वारा उ0प्र0 लेखपाल संघ की मांगों के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी से वार्ता के उपरान्त उक्त निर्णय लिया गया था। जिसके क्रम में मा0 मुख्य सचिव महोदय के अनुमोदन से मा0 अपर मुख्य सचिव राजस्व द्वारा शासनादेश दिनांक 23.08.2018 निर्गत किया गया।

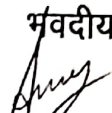
महोदय राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2018 के अनुसार मा0 राजस्व परिषद द्वारा वर्ष 2019 में 2 बार लेखपालों के अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण किये गये जिससे लगभग 650 लेखपाल लाभान्वित हुए। उक्त स्थानान्तरण में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण की व्यवस्था लेखपाल सेवा नियमावली में करने हेतु राजस्व परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 774/4-10ए-2020 दिनांक 28 फरवरी 2024 शासन को प्रेषित किया गया है। नियमावली संशोधन की प्रक्रिया में काफी समय लगने की संभावना है।

A

(P.T.O.)

अतः महोदय से निवेदन है कि शासनादेश दिनांक 23.08.2018 के अनुसार एक बार पुनः 07 वर्ष से प्रतीक्षित लगभग 1500 लेखपालों का अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण करने का निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

भवदीय

विनोद कुमार कश्यप
महामंत्री